

77

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर म0प्र0

निज/2988/BBR/15

रतन सिंह पिता धन सिंह राजपूत आयु 62 वर्ष
घन्धा-खेती, निवासी-राजपुरा, तह. सरदारपुर
जिला धार म0प्र0

रतनसिंह पिता धनसिंह राजपूत आयु 62 वर्ष
घन्धा-खेती, निवासी-राजपुरा, तह. सरदारपुर
जिला धार म0प्र0

...निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार सरदारपुर

...विपक्षी

निगरानी अर्ज धारा 50 भू.रा.सं. 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में विनम्रता से अर्ज है कि ग्राम ~~अमरपुर~~ ^{अमरपुर} की भूमि सर्वे नं. 334/3, 334/5, 337/2 कमशः रकबा 1.432 हे., 0.157 हे., 0.157 हे. उक्त भूमि के संबंध में विधिक रूप से नपती की कार्यवाही होकर उक्त भूमि के संबंध में बराबर नक्शा नहीं रखा, बराबर अड़ोसी पड़ोसी को सुना नहीं और उनको चाहिये था कि वे मात्र चिन्ह कर सकते थे। हक और कब्जे के बारे में करने का ज्यूडिशियल उन्हें नहीं है यह बात उन्होंने पंचनामा दिनांक 10/06/2015 में बढ़ा दी जो अल्ट्रेशन है वह लाईन सुस्पष्ट दिखती है याने उन्होंने छल किया है। ऐसी दशा में यह कार्य उनका विधिक नहीं है उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया है ऐसी दशा में राजस्व प्रकरण क्रमांक 23/2014-15/अ 12 में आज्ञा दिनांक 30/06/2015 द्वारा तहसीलदार सरदारपुर के समक्ष ऐसी मनचाही बढ़ाई हुई अधिकारों के परे जाकर बढ़ाई हुए समस्त पंचनामा रिपोर्ट छल लिये हुए है। अतः ऐसी असहमत कार्यवाही अपास्त करना थी। अतः मैं स्वयं अपनी कार्यवाही जिसमें पटवारी राजस्व निरीक्षक ने छलयुक्त कार्य किया है काटछांट की है अतः संपूर्ण कार्यवाही अपास्त बाबद यह निगरानी अर्ज है। अन्दर अवधि समस्त कार्यवाही अपास्त बाबद पंचनामा रिपोर्ट व नक्शा आदि और उसमें उल्लेख ओर अंतिम आज्ञा समाप्त कर मूल कार्यवाही समाप्त बाबद यह निगरानी मुझ प्रार्थी द्वारा पेश है जो निम्न है ~~व आधारित पट सदर पेश है~~ ^{व आधारित पट सदर पेश है}

Shahabuddin
4/9/15


(Signature)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2988-अध्यक्ष/2015

जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-03-2016	<p>उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया । आवेदकपक्ष तहसील न्यायालय द्वारा किये गये सीमांकन से संतुष्ट नहीं है । अतः इस प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदक की उपस्थिति में दुबारा प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन किये जाने की कार्यवाही करें ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>